

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 478/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

प्रमोद कुमार पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. गिरधारीलाल पुत्र श्री रामचन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गिरदावरी देवी पत्नी श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कैलाश देवी पुत्री श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुशीला पुत्री श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपरिस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 2.9.2024

वादी प्रमोद कुमार ने प्रतिवादीगण गिरधारीलाल वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 2 वादी की माता, प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादी की बहिन है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 145/87 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि, चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 27/3 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.024 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 146/87 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त प्रतिवादी सं. 1 के नाम से प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में कर दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

- (क) वादी प्रमोद कुमार पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-  
तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 145/87 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.012 है. कृषि भूमि  
तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 27/3 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 0.506 है. कृषि भूमि
- (ख) प्रतिवादी सं. 1 गिरधारी लाल पुत्र श्री रामचन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-  
जालू तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 27/3 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.518 है. कृषि भूमि

लगातार --2

राकेश कुमार कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

प्रतिवादी सं. 2 गिरदावरी देवी पत्नी श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:- तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 146/87 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 0.759 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 145/87, 27/3 व 146/87 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 145/87 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि, चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 27/3 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.024 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 146/87 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**:-: क्रियात्मक आदेश :-:**

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 145/87 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 27/3 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.024 है. कृषि भूमि में से 0.506 है. कृषि भूमि का वादी को

लगातार --3

महायक क्लर्क एवं  
उपवाह्य अधिकारी  
संगरिया

खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 146/87 जमाबन्दी सम्बन्ध 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि की प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजल किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तर्तीय तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
संगरिया  
संगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 478/2024

प्रमोद कुमार पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

गिरधारीलाल पुत्र श्री रामचन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)

बनाम

गिरदावरी देवी पत्नी श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

कैलाश देवी पुत्री श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

सुशीला पुत्री श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 29.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष  
वास्तु इन्फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जागिन  
मुदई श्री महावीर बेरइ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जागिब मुदायला पेश होकर  
हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.  
डी. के खाता सं. 145/87 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम  
से 1.012 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1  
का नाम कलमजन किया जावे, चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 27/3 जमाबन्दी  
सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.024 है. कृषि भूमि में से 0.  
506 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का  
हिस्सा कम किया जावे तथा इसी चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 146/87 जमाबन्दी  
सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि की प्रतिवादी  
सं. 2 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया  
जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद  
मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ..... निल ..... मुब्लिक ..... निल ..... बाबत् .....  
निल ..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
वसूलयाबी तक .....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 29.2024 को  
जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया  
संगरिया